फाइल नं0-71-3099/655/2021-02

95/2023/I/364255/2023

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 08 अगस्त, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर तथा हृदय रोग संस्थान, कानपुर में उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एम0ई0/पर्चेज/2023-24/108, दिनांक 07.06.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर तथा हृदय रोग संस्थान, कानपुर में उपकरणों की सूची अनुमोदित करते हुए धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर तथा हृदय रोग संस्थान, कानपुर हेतु प्रस्तावित उपकरणों की सूची (संलग्नक के अनुसार) को अनुमोदित करते हुए अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 **100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) एवं हृदय रोग संस्थान, कानपुर हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 लाख (रूपये चार करोड़ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. प्रश्नगत उपकरणों का क्रय एम0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत उपकरणों के मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक/प्रधानाचार्य की होगी।
2. डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उपकरण की वास्तविक रूप से आवश्यकता है।
3. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
4. स्वीकृत धनराशि से उन्हीं उपकरणों का क्रय किया जायेगा जिसके स्पेसिफिकेशन उपलब्ध हो।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें की पूर्ति कर ली जाए।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
7. उपकरणों के क्रय में 05 वर्ष की वारण्टी/सी0एम0सी0/ई-प्रोक्योरमेन्ट में इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस(GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उन्हीं कार्य/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किसी अन्य कार्य/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
11. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031052200 जे0के0 इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी एण्ड कैंसर रिसर्च, कानपुर मानक मद 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र (2) रुपये 4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031054400 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजी इंस्टीट्यूट मानक मद 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या/दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर तथा हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर तथा हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी, कानपुर।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

संलग्नक।

जे0 के0 कैंसर संस्थान , कानपुर

क्र0	विभाग का नाम	उपकरण का नाम	मात्रा	उपकरण का अनुमानित मूल्य 5 वर्ष की वारण्टी के साथ
1	2	**3**	**7**	**8**
1	Radiotherapy	Flexitron-Applicators as per scope of supply in exhibit A 1.1 Vaginal Applicator Set 1.2 LumenCare Azure, SF x 150cm for microSelectron(5 pcs) 1.3 X-Ray catheter No.1 150Cm Fro microselectron 1.4 Applicator Adapter	01 ;वर्तमान में एप्लीकेटड सुचारू रूप से कार्य नही कर रहे है)	approx. USD-$16500.0 INR13,63,230.00/ pcs **Total Amount USD-$16500.00 Rs.16,08,611.40 (with GST@18%)**
2		105.002 Iridum-192 Source, (4.5mm x 0.65mm) +/-10cI Radiation sources (patented) for the micro Selectron HDR. Source Laser welded to a 49 stand flexible drive cable for positioning the source up to 1500mm from the indexer. The source activity delivered is +/-10%	7	approx. URO 8236.80 INR 6,80,524.42.00/pcs **Total Amount URO 57657.60/7pcs Rs. 60,24,244.78 (with GST@18%)**
Total			**8**	**Rs. 76,32,856.18 (with GST)**

हृदय रोग संस्थान , कानपुर

(रू0 लाख में)

क्र0	**विभाग का नाम**	**उपकरणों का नाम**	**क्रय की आवश्यक मात्रा**	**उपकरण का अनुमानित मूल्य 5 वर्ष की वारण्टी के साथ**	**कुल अनुमानित मूल्य**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	**कार्डियोलॉजी विभाग**	वेन्टीलेटर	**4**	15.00	60.00
2.		टेम्परेरी पेसमेकर	**10**	2.00	20.00
3.		होल्टर मॉनीटरिंग पूरे सामानों के साथ	**2**	10.00	20.00
4.		इन्ट्रा एरोटिक बैलून पम्प	**3**	7.00	21.00
5.		डिजिटल एक्स-रे मशीन	**2**	3.00	6.00
6.	**कार्डियक सर्जरी**	हार्टलंग मशीन सहित	1	150.00	150.00
7.	**विभाग**	साईनवेव डिफिब्रिलेटर विद	2	8.00	16.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		एएईडी पैड			
8.		हेड लाईट विद (एलईडी)	2	7.00	14.00
9.		डायाथर्मी मशीन	2	8.00	16.00
10.		स्टरनल शॉ	2	11.50	23.00
11.	**कार्डियक एनेस्थीसि या विभाग**	ए0सी0टी0 मशीन	2	7.00	14.00
12		एडवांस कार्डियक आउटपुट मानीटर विथ सेरीब्रल आक्सीमेटरी स्वान गैंज	2	10.00	20.00
13		थ्राम्बोइलास्टोग्राफी मशीन (टी0ई0जी0)	1	20.00	20.00
				कुल योग-	400.00

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।